राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या– 169/2014...जिला........कोटा...

उनवान– अमेजन एन्टरप्राइजेज प्रा.लि., जयपुर बनाम कलक्टर (मुद्रांक), कोटा व अन्य

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>26.02.2016</td><td>खण्डपीठ
<u>श्री मदन लाल–सदस्य</u>
<u>श्री मोहन लाल नेहरा–सदस्य</u>

प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री जी.एस.लखावत का प्रार्थना पत्र प्राप्त। अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।

प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के अनुसार पूर्ण राशि जमा कराना चाहता है, इसलिए प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्याय हित में प्रार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान करें।

इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।

फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 169/2014/कोटा जरिये विद्ड्रावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।

आदेश सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य</td><td></td></tr>
</table>